भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2216
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्र

2216. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में कितने आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए हैं और वर्तमान में कितने कार्यशील हैं;
(ख) क्या भिवंडी जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाएं अपर्याप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
(ग) क्यों सरकार का भिवंडी जैसे क्षेत्रों में नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से मानदेय में वृद्धि और पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लाभ की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महाराष्ट्र राज्य में कुल 1,10,631 कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों में से, कुल 19,795 शहरी क्षेत्रों में कार्यशील हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में कुल 786 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यशील हैं, जिनमें से 445 आंगनवाड़ी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील और 341 आंगनवाड़ी केन्द्र शहरी क्षेत्रों में कार्यशील हैं।
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करते हुए रिलोकेशन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थान की

समीक्षा करें और उसे तर्कसंगत बनाएं ताकि लक्षित लाभार्थियों को सर्वोत्तम रूप से सेवा प्रदायगी की जा सके।

प्रधानमंत्री जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाले क्षेत्रों में 2,500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में 178 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं।

इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और योजना के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन योजना के कार्यान्वयन के लिए भर्ती के साथ-साथ दैनिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित अंतराल पर निरंतर संपर्क और बैठकों के माध्यम से लाभार्थियों, जिनमें बाल लाभार्थी भी शामिल हैं, के कवरेज को अधिकतम करने और योजना के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ और आंगनवाड़ी सहायिकाएं स्थानीय समुदाय की "मानद कार्यकर्ता" होती हैं, जो स्वेच्छा से बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आती हैं। वे स्थानीय समुदाय की सहायता करने के लिए कार्य करती हैं और इसके लिए उन्हें मासिक मानदेय दिया जाता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय दिया जाता है, जिसे समय–समय पर बढ़ाया जाता है। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 4,500 रुपए प्रति माह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,250 रुपए प्रति माह कर दिया है, जिसे केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत–साझेदारी अनुपात के अनुसार साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन राशि/टॉप-अप भी दे रहे हैं, जो राज्यवार भिन्न-भिन्न है। साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल फोन एप्लिकेशन है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक रजिस्टरों का डिजिटलीकरण किया गया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही वे आंगनवाड़ियों में संचालित सभी गतिविधियों की तत्समय निगरानी कर पाती हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए, निम्नलिखित सहित विभिन्न पहलें की गई हैं:

i. पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, बशर्ते अन्य मानदंड पूरे हों।
ii. अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, गर्भपात/गर्भस्राव की स्थिति में एक बार 45 दिन का सवैतनिक अवकाश।
iii. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत अपना नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें, जो देश के असंगठित क्षेत्रों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
iv. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये तक का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु सहित) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता) / 1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) तक का दुर्घटना बीमा लाभ प्रदान किया गया है।
v. सेवानिवृत्ति तारीख: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु समरूप सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं।

vi. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान किया जाएगा।

*****